




INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



IN-UP02059625755823V

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP02059625755823V
 Certificate Issued Date : 30-Aug-2023 05:14 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14368404/ SULTANPUR SADAR/ UP-SLT
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1436840499697437945418V
 Purchased by : R B VERMA MEMORIAL PUBLIC CHARITABLE TRUST
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : R B VERMA MEMORIAL PUBLIC CHARITABLE TRUST
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : R B VERMA MEMORIAL PUBLIC CHARITABLE TRUST
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)

Signature: 
 ACC Name: Anubhuti Singh Kumar Gupta
 ACC Code: UP14318404
 ACC Add: Collectrate, Sultanpur
 Mob: 861 4073344, 7905504371
 Lit. No.: J2K-olestrate/2016
 Teh. & Dist: Sadar, Sultanpur



Please wait or Eject before this time



प्रारूप-अ

NOTARIAL

NOTARIAL

NOTARIAL


सत्र 2023-24 में तैयार किया जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम सुनील वर्मा (एक) अनिल वर्मा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव आर० बी० वर्मा० मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पता-1512/1 शास्त्री नगर सुल्तानपुर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा आर० बी० इंस्टीट्यूट आफें मेडिकल साइसेज पता-ग्राम-मुरारपुर पोस्ट- हनुमानगंज-तह०- लम्भुआ जनपद- सुल्तानपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम आर० बी० वर्मा० मेमोरियल पब्लिक वैरिटेबल ट्रस्ट पता-1512/1 शास्त्री नगर सुल्तानपुर मे गाटा संख्या 24,26-30,25, एवं 371 रकबा क्रमशः 0.253, 0.455, 0.0454 एवं 0.101 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.854 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि,उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि,उपरोक्त पते पर के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 24,26-30,25एवं 371 रकबा क्रमशः 0.253, 0.455, 0.0454 एवं 0.101 हेक्टेयर(कुल रकबा 0.854 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01-07-2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि,उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि,उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद,उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी है तो मेरे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

ह० सचिव



ह० अध्यक्ष

